order sheet

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
31/8/21	वकील पक्षकारान् उप० तहसीलदार नवलगढ़ को अंत्य रिपोर्ट एवं जवाब हेतु लिखा जावे। पुनरावली इन्तजार रिपोर्ट/जवाब दिनांक 15/9/21 को पेश हो। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़	
15/9/21	वकील पक्षकारान् उप०। जवाब एवं रिपोर्ट तहसीलदार हेतु अवसर चाहने पर मिसल दिनांक 23.10.21 को पेश हो। ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.) नवलगढ़	
23/10/21	पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत जाजलकेम्प में पेश हुई। तहसीलदार नवलगढ़ से मौके पर रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक रिपोर्ट इनका सही नाम मोतीलाल पुत्र पोकरराम है। प्रहलाद पुत्र पोकरराम जाति-ब्राह्मण नाम का ग्राम जाजल में कोई व्यक्ति नहीं है। इनको मोतीलाल पुत्र पोकरराम के नाम से ही गांव में जाना जाता है। रिपोर्ट शामिल की गई। अतः वाद वादी स्वीकार किये जाने हेतु तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट पर्याप्त आधार है। अतः वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है। निर्णय वादवादी मुताबिक [illegible] में चाहे अनुतोष अनुसार स्वीकार किया [illegible] डिक्री किया जाता है। वाद पत्र निर्णय का भाग होगा। डिक्री [illegible] जारी हो। तहसीलदार नवलगढ़ मुताबिक निर्णय रिकॉर्ड में इन्द्राज व अमल दरामद करें। पत्रावली शामिल शुमार हो [illegible] से कम हो।	

सुमन सोनल RAS
शिविर प्रभारी
प्रशासन गांवों के संग अभि. 2021
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

3

ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ

श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ.

दावा : बाबत ~~खेवट व रिकार्ड दुरुस्ती~~

मुकदमा सं0:– 36/21 (मोतीलाल पुत्र मोतीलाल वगै0 बनाम राज्य सरकार)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू श्रीमती सुमन सोनल (आर0ए0एस0),उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी. वकील वादीगण मनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब– मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है।

निर्णय दिनांक 23/10/21 निर्णयानुसार ~~राजस्व ग्राम~~ वाद वादी मुताबिक वादपत्र मे चाहे अनुसार अनुतोष अनुसार स्वीकार किया जाता है। वादपत्र उक्त निर्णय का भाग रहेगा।

तहसीलदार नवलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार मुताबिक आदेश राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे। इस आशय की तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

जन..........–.............. मुबलिग...........–...........बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह......–............फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 23....माह ...10... सन .2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ

मुददई	रूपया पैसे	मुददासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	10 .00	स्टाम्प अर्जी दावा	.00
वकालतनामा स्टाम्प	2 .00	स्टाम्प वकालतनामा	.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	2 .00	मुतफरिक मिजान	.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय,

नवलगढ़।

मोतीलाल उर्फ मोती प्रहलाद पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब (भू—धारक) नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

—— प्रतिवादी

दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती

महोदय,

वाद वादी निम्न प्रकार से श्रीमान की सेवामें पेश कर रहा है :——

1. यह कि वाके ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल में खाता संख्या 496 (नया) की भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 1.29 हैक्टर अवस्थित है जिसके पुराने खसरा नम्बर 512 थे उक्त भूमि वादी की पैतृक भूमि है जिसको पहले वादी के पूर्वज काश्त करते थे व उनके स्वर्गवास के बाद वादी स्वयं उक्त भूमि को काश्त करता है लाटता—बाटता है जिसको ही प्रस्तुत वाद—पत्र में विवादित भूमि के नाम से सम्बोधित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि जागीरदारी समाप्त होने के बाद जब भू–राजस्व कानून लागू हुआ प्रथम बार चौसाला जमाबन्दीया बनी तब सवंत 2013 के राजस्व रिकार्ड में वादी के दतकग्रहीता पिता पोखर पुत्र चुन्नीलाल के कब्जे काश्त व दर्जशुदा खातेदारी की थी जिसका राजस्व रिकॉर्ड लगातार सवंत 2013 से 2032 तक पोखर के नाम ही दर्ज चलता रहा। सवंत 2032 में पोखर के फौत होने पर नियमानुसार विरासत का नामान्तरण 254 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया जिसमें वादी का नाम मोतीलाल जो वादी का सही नाम था के स्थान पर राजस्व कर्मचारियो ने मोती प्रहलाद दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद कर दिया चूंकि वादी ग्रामीण परिवेश का सीधा–साधा व कम पढा लिखा व्यक्ति है व परिवार का पालन पोषण करने बाबत बाहर रहने लग गया जिसके कारण गलत राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी नहीं हुई अब जब गलत दर्जशुदा राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई तो उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने बाबत रिकॉर्ड दुरूस्ती का वाद श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

3. यह कि वाद–पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का राजस्व रिकॉर्ड सवंत 2074 तक मोती प्रह[illegible]ती प्रहलाद को एक व्यक्ति मानकर [illegible] की सेकीगेसन की कार्यवाही कर जब संवत 2075 लगायत 2078 की चौसाला जमाबन्दीया तैयार की गई तो राजस्व कर्मचारियो ने बिना किसी जांच के ही उक्त राजस्व रिकॉर्ड का इन्द्राज मोती व प्रहलाद के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

नाम को दो व्यक्ति मानकर 1/2 हिस्सेदारी मोती के नाम व 1/2 हिस्सेदारी प्रहलाद के नाम दर्ज कर दी जो कतई गलत दर्ज की है जबकि न तो प्रहलाद पुत्र पोकर नाम का कोई व्यक्ति राजस्व ग्राम जाखल में पैदा हुआ व न ही आज है बल्कि मोती प्रहलाद एक ही व्यक्ति रहा व उसका नाम भी मोती प्रहलाद न होकर सही नाम मोतीलाल है इसलिए उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाने बाबत उक्त वाद घोषणार्थ दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

<u>नोट :–</u> यह कि उक्त वाद में वर्णित राजस्व रिकार्ड में ग्राम पंचायत जाखल द्वारा नामान्तरण संख्या 254 तस्दीक किया गया है जिसमें तत्कालिन सरपंच जयसिंह शेखावत ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि " चूंकि खातेदार पोकर फौत हो चुका है अतः उसके गोद के लड़के मोती प्रहलाद के नाम नामान्तरण तस्दीक किया जाता है रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे" इसलिए स्पष्ट है कि मोती प्रहलाद एक ही व्यक्ति रहा है व वैसे भी गोद एक व्यक्ति को ही कानूनन लिया जा सकता है न कि दो को एक साथ।

अतः उक्त राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त कर वादी का सही नाम दर्ज करवाने बाबत वाद श्रीमान् की सेवा में [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि प्रतिवादी के राजस्व कर्मचारियों [illegible] संवत 2075 लगायत 2078 में की चौसाला जमाबन्दी तैयार की गई जो गलत की गई व गलत ही, हिस्सेदारी दर्ज की गई है जिसको दुरूस्त किया जाना

8

न्यायसंगत है व उक्त रिकार्ड को दुरूस्त करवाने बाबत ही वाद श्रीमान की सेवामें पेश है।

5. यह कि वादी की वर्णित पैतृक भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज रहने से वादी के अधिकारो का हनन हो रहा है न तो वादी उक्त भूमि पर ऋण आदि प्राप्त कर सकता व न ही सरकार से मिलने वाली अन्य योजनाओ का लाभ प्राप्त कर रहा है वादी कम पढा लिखा व सीधा सादा व्यक्ति है व उम्रदराज व्यक्ति है जिसका राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज रहने से भविष्य में भी वादी के परिवार को भारी आर्थिक व मानसिक नुकसान उठाना पड़ सकता है इसलिए रिकॉर्ड दुरूस्त करवाने का वाद, अति आवश्यक होने से पेश किया जा रहा है जो न्याय संगत है।

6. यह कि वादी कमाने खाने बाबत बाहर रहता है पिछले दिनो जब गांव आया प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ प्राप्त करने बाबत ई–मित्र के पास गया व उक्त राजस्व रिकॉर्ड की नई जमाबन्दी निकलवाई तब नये राजस्व रिकॉर्ड की जानकारी हुई तो गलत इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड की जमाबन्दी पटवारी हल्का से दिनांक 23.11.2020 को प्राप्त की उसी रोज उक्त वाद का वाद कारण अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ वैसे रिकॉर्ड दुरूस्ती का [illegible] दार कभी भी न्यायालय में पेश कर सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि फरिकेन अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में निवास व राजस्व अधिकारी है तथा वादग्रस्त भूमि अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में अवस्थित होने के कारण सुनवाई करने का पूर्ण अधिकार है।

8. यह कि वाद घोषणार्थ रिकॉर्ड दुरूस्ती का है वाद मूल्याकन के आधार पर उचित कोर्ट फीस 10/– रूपयें बनती है उक्त कोर्ट फीस पर वाद प्रस्तुत है। उक्त फीस कानूनी रूप से पर्याप्त है।

9. यह कि उक्त वाद अन्दर मियाद प्रस्तुत है कानून ऐसे वाद के लिए कोई मियाद तय नहीं है।

10. यह कि प्रतिवादी नं. 1 राज्य सरकार का प्रतिनिधि व लैण्डहोल्डर है व वर्णित वाद में प्रभावी पक्षकार भी है इसलिए प्रतिवादी बनाया गया है।

11. अत वाद वादी पेशकर निवेदन है कि :——

(क) वाद बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी इस आशय की डिक्री फरमाई जावे कि वाके ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 1.29 हैक्टर सम्पूर्ण में दर्जशुदा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार प्रहलाद पुत्र पोकरराम हिस्सा 1/2 का नाम हजफ किया जावे।

(ख) यह कि खाता संख्या 496 की भूमि खसरा नम्बर 714 रकबा 1.29 हैक्टर में दर्जशुदा खातेदार [illegible] पोकरराम के नाम को शुद्ध कर मोतीलाल पुत्र पोकरराम [illegible] के आदेश फरमाया कर वर्णित सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी उनके नाम दर्ज करने के आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested

10

(ग) यह कि उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की दुरूस्ती करने बाबत तहसीलदार साहब नवलगढ को तहरीर जारी की जावे।

(घ) यह कि अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो वादी के पक्ष में पडती है तो वह भी दिलाई जावे।

दिनांक :– 3/7/021

प्रार्थी / वादी

मोतीलाल उर्फ मोती प्रहलाद पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान।

मोतीलाल

तस्दीक

मैं मोतीलाल उर्फ मोती प्रहलाद पुत्र पोकरराम जाति ब्राहमण निवासी जाखल तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं राजस्थान का हूँ जो कि शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि उपरोक्त वाद पत्र की मद संख्या 1 लगायत अन्तिम मेरी स्वयं की जानकारी व मेरे कानूनी सलाहकारी की सलाह से सत्य एवं सही है जिसे सत्य एवं सही होना तस्दीक करता हूँ।

मोतीलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 11:58:33 IST
Reason: SelfAttested